प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– कासगंज।

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / एम. एण्ड ई. भ्रमण / 2018–19 / 105 / 1527 दिनांक 17.05.2019

विषय–दिनांक 24 से 27 अप्रैल, 2019 में राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–SPMU/NHM/M&E/2018-19/04/10262 दिनांक 31.12.2018 एवं SPMU/NHM/M&E/2018-19/18/1290-4 दिनांक 27.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मिशन निदेशक के निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 24 से 27 अप्रैल, 2019 तक जनपद कासगंज का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया तथा समीक्षा कर विस्तृत आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य स्तरीय दल द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आख्या पर आवश्यक कार्यवाही करते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या राज्य स्तर पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(थमीम असरिया ए.)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / एम. एण्ड ई. भ्रमण / 2018–19 / 105 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद कासगंज।
3. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ, मण्डल– अलीगढ।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, अलीगढ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, जनपद कासगंज को इस निर्देश के साथ कि उक्त आख्या का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(मो0 अताउर रब)
उपमहाप्रबन्धक, कम्यू0प्रो0
नोडल अधिकारी–अलीगढ़

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद– कासगंज।

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / एम. एण्ड ई. भ्रमण / 2018–19 / 105 / दिनांक 17 .05.2019

विषय–दिनांक 24 से 27 अप्रैल, 2019 में राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–SPMU/NHM/M&E/2018-19/04/10262 दिनांक 31.12.2018 एवं SPMU/NHM/M&E/2018-19/18/1290-4 दिनांक 27.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मिशन निदेशक के निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 24 से 27 अप्रैल, 2019 तक जनपद कासगंज का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया तथा समीक्षा कर विस्तृत आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य स्तरीय दल द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आख्या पर आवश्यक कार्यवाही करते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या राज्य स्तर पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(थमीम अंसरिया ए.)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / एम. एण्ड ई. भ्रमण / 2018–19 / 105 / 1527-6 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद कासगंज।
3. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ, मण्डल– अलीगढ।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, अलीगढ।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, जनपद कासगंज को इस निर्देश के साथ कि उक्त आख्या का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(मो0 अताउर रब)
उपमहाप्रबन्धक, कम्यू0प्रो0
नोडल अधिकारी–अलीगढ़

भ्रमण आख्या जनपद–कासगंज

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–SPMU/NHM/M&E/2018-19/04/10262 दिनांक 31.12.2018 एवं SPMU/NHM/M&E/2018-19/18/1290-4 दिनांक 27.03.2019 क्रम में पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुपालनार्थ दिनांक 24–27 अप्रैल, 2019 को भ्रमण दल द्वारा जनपद कासगंज का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण दल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. डा0 राज किशोर त्रिपाठी, प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. श्री बलराम तिवारी, रीजनल कोआर्डिनेटर (स्टेट), कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की गयी इकाईयॉ :–

1. संयुक्त जिला चिकित्साल, कासगंज।
2. ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमॉपुर।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोरों।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनपुरा (एच.डब्ल्यू.सी.)।
5. उपकेन्द्र नदरई (एल–1), विकास खण्ड कासगंज।
6. उपकेन्द्र, मोहनपुरा, विकास खण्ड कासगंज (वी.एच.एन.डी. सत्र)।
7. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिड़ला।

जनपद की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की विस्तृत आख्या निम्नवत् है :–

क्र. स.	चिकित्सा इकाई	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	संयुक्त जिला चिकित्साल, जनपद–कासगंज	• चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर उपलब्ध स्ट्रेचर व व्हील चेयर क्षतिग्रस्त थी। • जननी सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार अत्यन्त कम किया गया था। • चिकित्सालय के मुख्य द्वार से प्रसव कक्ष हेतु साइनेज समुचित रूप से नहीं लगाये गये थे। • प्रतीक्षालय में जननी सुरक्षा योजना व जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की आईईसी नहीं की गयी थी। • लेबर रूम व एनबीसीसी अस्त–व्यस्त अवस्था में पाया गया। • उपयोग किये गये ग्लब्स और कन्ज्यूमेबिल्स लेबर रूम के अन्दर जहॉ–तहॉ बिखरे हुये पाये गये। • लेबर के समीप बनाये गये वार्ड में आईईसी नहीं की गयी है। • चिकित्सालय में नर्सिंग स्टेशन के सामने टेलीविजन लगाया गया था जबकि प्रतीक्षालय में इस हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। • शिशु के वजन हेतु डिजिटल मशीन उपलब्ध नहीं थी। • प्रसव पंजिका में उपचारिकाओं द्वारा शिशु का वजन 2 Kg, 2.5 Kg, 3 Kg व 3.5 Kg के रूप में अंकित किया जा रहा है। • विगत वित्तीय वर्ष 2018–19 में चिकित्सालय में कुल 705 प्रसव कराये गये हैं जिसमें से मात्र 402 लाभार्थियों का ही भुगतान किया गया है। शेष 303 जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का भुगतान किया जाना है।	• मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय को स्ट्रेचर व व्हील चेयर क्रियाशील स्थिति में उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिया गया। • जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं/सुविधाओं के दीवार लेखन का सुझाव दिया गया। • लेबर रूम व एनबीसीसी को सुनियोजित करने हेतु हास्पिटल मैनेजर व नर्स मेण्टर को संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व प्रदान किये जाने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय में आवश्यक स्थलों पर आईईसी कराये जाने का सुझाव दिया गया। • शिशु के वजन हेतु डिजिटल मशीन की उपलब्धता बनाये जाने का सुझाव दिया गया। • प्रसव पंजिका में शिशु का वास्तविक वजन अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया। • जननी सुरक्षा योजना के समस्त लम्बित लाभार्थियों का भुगतान किये जाने हेतु सुझाव दिया गया कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आवश्यक सहयोग प्राप्त करते हुये भुगतान की रणनीति तैयार करने का सुझाव दिया गया। • पीपीआईयूसीडी के सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रत्येक माह किये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई/ राज्य स्तर

		• माह अप्रैल, 2019 में चिकित्सालय में कुल 30 प्रसव कराये गये हैं जिसमें समस्त लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। • चिकित्सालय में पीपीआईयूसीडी की सेवा प्रदान की जा रही है। माह अप्रैल में किसी भी सेवा प्रदाता को पीपीआईयूसीडी लगाये जाने के सापेक्ष प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। • वार्ड में साफ–सफाई नहीं थी, बेड की चादरें अत्यधिक गन्दी थी। लाभार्थी भर्ती होने के बावजूद लाइट व पंखे बन्द थे। • भ्रमण के समय चिकित्सालय के गेट पर 108 एम्बुलेन्स सेवा के वाहन संख्या– UP 41 G 3237 का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि वाहन की स्थित जर्जर है। वाहन में इमरजेन्सी किट उपलब्ध नहीं थी। ऑक्सीजन सिलेण्डर क्रियाशील नहीं था। वाहन की एसी अक्रियाशील है। एम्बुलेन्स की मुख्य लाइट अक्रियाशील है। • मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सालय हेतु स्वीकृत मानव संसाधन के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों की संख्या नगण्य है। • मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा चिकित्सालय का शत्प्रतिशत भवन हैण्डओवर नहीं किया गया है। निमार्ण कार्य शेष होने से स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित हो रही है। चिकित्सक व पराचिकित्सकों के आवास उपलब्ध न होने के कारण भी सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।	• वार्ड की साफ–सफाई बनाये रहने का सुझाव दिया गया। • एम्बुलेंस सेवा के वाहनों का सत्यापन समय–समय पर किये जाने व सत्यापन रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी व राज्य स्तर पर प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। • मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय को सुझाव दिया गया कि चिकित्सालय भवन को पूर्णतः हैण्डओवर कराये जाने हेतु राज्य स्तर को पत्र प्रेषित किया जाये तथा मानव संसाधन की तैनाती हेतु राज्य स्तर को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाये।	
2	ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमांपुर	• वार्ड के बरामदे में स्टाफ द्वारा बाइक खड़ी की जा रही हैं जिससे वार्ड के अन्दर जाना सम्भव नहीं था। • वार्ड के बेड, गद्दे व चादरें फटी हुयी थी। • वार्ड के बाहर रखे हुये वैक्सीन कैरियर के पास कुत्ता बैठा हुआ था। • वार्ड अत्यन्त अस्त–व्यस्त अवस्था में था। • वार्ड का टायलेट चोक है। • वार्ड में लगाया गया टेलीविजन अक्रियाशील अवस्था में था। • चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर उपलब्ध नहीं थे। • लेबर टेबल अत्यन्त दयनीय स्थिति में थी। • लेबर रूम का शौचालय अक्रियाशील था। • लेबर रूम के समीप स्थित पी.एन.सी. वार्ड की खिड़की टूटी हुयी, पर्दा फटे हुये तथा वार्ड में रखे हुये स्टूल टूटे हुये हैं। • बच्चों के वजन हेतु डिजिटल मशीन उपलब्ध नहीं थी। • माह अप्रैल, 2019 में कुल 83 प्रसव हुये हैं जिसके सापेक्ष 50 का भुगतान किया गया है। • चिकित्सालय के. किसी भी वार्ड में आई.ई.सी. नहीं की गयी थी एवं पर्दा भी नहीं लगाये गये हैं। • चिकित्सालय की ओ.पी.डी. में मरीजों एवं	• भ्रमण के दौरान टीम द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय को सुझाव दिया गया कि वार्ड को मरीजों के सुगम आवागमन हेतु बनाये रखा जाये। • प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा भ्रमण के दौरान बरामदा को खाली कराया गया तथा वार्ड के टूटे बेड, गद्दे व चादर बदलवाये गये। • टेलीविजन को क्रियाशील करके आवश्यक स्थल पर लगाये जाने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर की उपलब्धता का सुझाव दिया गया। • लेबर रूम के सम्बन्ध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि नया लेबर रूम तैयार कराया जा रहा है। • जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का लम्बित भुगतान अतिशीघ्र कर कराये जाने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय में आई.ई.सी. किये जाने का सुझाव दिया गया। • मरीजों व तीमारदारों के बैठने हेतु पर्याप्त मात्रा में सीट लगाये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी

		तीमारदारों के बैठने हेतु पर्याप्त मात्रा में सीट की व्यवस्था नहीं है। • ब्लाक स्तर से एच.एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड की गयी रिपोर्ट व मैनुअल रिपोर्ट में भिन्नता पायी गयी। • 102 एम्बुलेन्स वाहन संख्या–यूपी–41–जी–2649 का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि वाहन द्वारा भ्रमण के समय तक कुल 317424 कि.मी. की दूरी तय की जा चुकी है। • उक्त एम्बुलेन्स के पायलट द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन का शायरन अक्रियाशील है। • वाहन की सभी सीट फटी हुयी है। • ऑक्सीजन सिलेण्डर का शीशा विगत 20 दिनों से अक्रियाशील है। • वाहन में आवश्यक औषधियॉ व कन्ज्यूमेबल्स इत्यादि नहीं है। • 108 एम्बुलेन्स वाहन संख्या–यूपी–41–जी–1178 का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि वाहन द्वारा भ्रमण के समय तक कुल 264710 कि.मी. की दूरी तय की जा चुकी है। • उक्त एम्बुलेन्स के पायलट द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन की एसी अक्रियाशील है। • वाहन के गेट को साइकिल के ट्यूब से बॉधा जाता है। • वाहन में आवश्यक औषधियॉ व कन्ज्यूमेबल्स इत्यादि नहीं है। • जननी सुरक्षा योजना व जननी शिशु सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार अत्यन्त कम किया गया था। • चिकित्सालय के मुख्य द्वार से प्रसव कक्ष हेतु साइनेज समुचित रूप से नहीं लगाये गये थे। • वार्ड में आईईसी नहीं की गयी है। • शिशु के वजन हेतु डिजिटल मशीन उपलब्ध नहीं थी। • प्रसव पंजिका में उपचारिकाओं द्वारा शिशु का वजन 2 Kg, 2.5 Kg, 3 Kg व 3.5 Kg के रूप में अंकित किया जा रहा है। • चिकित्सालय में पीपीआईयूसीडी की सेवा प्रदान की जा रही है। माह अप्रैल में किसी भी सेवा प्रदाता को पीपीआईयूसीडी लगाये जाने के सापेक्ष प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। • चिकित्सा इकाई में स्थापित की गयी ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में अत्यन्त गन्दगी व अव्यवस्था पायी गयी। कार्यालय के साथ सम्बद्ध शौचालय चोक था। एमसीटीएस ऑपरेटर द्वारा डैशबोर्ड नहीं लगाया गया। इकाई के समस्त प्रकार के अभिलेख अस्त–व्यस्त व अपूर्ण पाये गये।	• मैनुअल व एमआईएस रिपोर्ट में समानता लाने का सुझाव दिया गया। • 108 व 102 एम्बुलेन्स के वाहनों का समय–समय पर सत्यापन करने तथा सत्यापन रिपोर्ट को जनपद पर प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। • ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु आवश्यक अभिलेखों/पत्रावलियों को राज्य स्तरीय दल द्वारा इकाई के कार्मिकों के माध्यम से तैयार कराया गया तथा अभिलेखों/पत्रावलियों की निरन्तरता हेतु अभिमुखीकृत किया गया।	
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोरों	• प्रसव कक्ष हेतु साइनेज नहीं लगाये गये हैं। • लेबर रूम में पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है।	• चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार साइनेज लगवाने का सुझाव दिया गया। • लेबर रूम को सुदृढ़ किये जाने का	चिकित्सा अधीक्षक/ जनपद स्तर

		• लेबर रूम में एल्बो टैब नहीं लगा है। • लेबर टेबल पर कैलिशपैड नहीं पाये गये। • नवजात शिशु के वजन हेतु डिजिटल वेइंग मशीन नहीं है। • रेडियन्ट वार्मर छः माह पूर्व जनपद स्तर से भेजा गया है किन्तु इन्सटालेशन हेतु कोई व्यक्ति नहीं आया है। • प्रसव कक्ष के साथ शौचालय सम्बद्ध नहीं है। • प्रसव कक्ष में न्यू बार्न केयर कार्नर अव्यवस्थित है। • भ्रमण के समय चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर उपलब्ध नहीं थे। • चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विकास खण्ड की ए.एन.एम. व आशा संगिनियों की बैठक बुलायी गयी थी जिसमें राज्य स्तरीय दल द्वारा बिन्दुवार चर्चा की गयी। प्रथम पंक्ति की कार्यकत्रियों से अपेक्षाओं पर चर्चा की गयी तथा समुदाय की प्रतिभागिता बनाये जाने हेतु सुझाव दिये गये। दल द्वारा अवगत कराया गया कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जनपद कासगंज प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में सबसे निम्नतम स्थान पर है। • चिकित्सालय में आई.ई.सी. हेतु स्थान उपलब्ध है किन्तु आई.ई.सी. नहीं करायी गयी है।	सुझाव दिया गया। • नवजात शिशु का वजन किये जाने हेतु डिजिटल वेइंग मशीन की उपलब्धता का सुझाव दिया गया। • रेडियन्ट वार्मर के इन्सटालेशन हेतु जनपद स्तर पर अनुरोध पत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। • न्यू बार्न केयर कार्नर को सुदृढ़ करने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर की उपलब्धता का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय में आई.ई.सी. कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनपुरा (एच.डब्ल्यू.सी.)	• प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु साइनेज नहीं लगाये हैं। • चिकित्सालय में सिटीजन चार्टर नहीं लगाया गया है। • चिकित्सालय में अग्नि शमन हेतु उपाय नहीं किये गये हैं। • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेश सेण्टर के रूप में चिन्हित किया गया है। • चिकित्सालय में साफ–सफाई का अभाव था। • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर, एच.डब्ल्यू.सी. के दिशा–निर्देशानुसार एम.बी.बी.एस. चिकित्सा अधिकारी की तैनाती नहीं की गयी है। • हेल्थ एण्ड वेलनेश सेण्टर हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक जनपद स्तर से ब्लाक स्तर/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध नहीं कराया गया है। • एच.डब्ल्यू.सी. के दिशा–निर्देशानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आरोग्य केन्द्र हेतु आवश्यक कक्षों का चिन्हाकन नहीं किया गया है। • चिकित्सालय में हेल्थ एण्ड वेलनेश सेण्टर हेतु आवश्यक फैसिलिटी ब्रॉडिंग नहीं की गयी है।	• साइनेज लगवाने हेतु सुझाव दिया गया। • एम.बी.बी.एस. चिकित्सा अधिकारी की तैनाती का सुझाव दिया गया। • हेल्थ एण्ड वेलनेश सेण्टर हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक जनपद स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया। • एच.डब्ल्यू.सी. के दिशा–निर्देशानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आरोग्य केन्द्र हेतु आवश्यक कक्षों का चिन्हाकन करते हुये फैसिलिटी ब्रॉडिंग करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक/ जनपद स्तर
5	उपकेन्द्र नदरई (एल–1), विकास खण्ड कासगंज	• उपकेन्द्र में प्रतिमाह 100 से 120 प्रसव कराये जाते हैं। उपकेन्द्र पर वर्तमान में दो ए.एन.एम. की तैनाती है। एक ए.एन.एम. द्वारा उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में टीकाकरण एवं अन्य गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। • लेबर रूम में साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण कक्ष की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। लेबर रूम में पानी की व्यवस्था बाल्टी के माध्यम से की जा रही है।	• उपकेन्द्र पर प्रसव भार के दृष्टिगत अतिरिक्त मानव संसाधन की तैनाती व जनपद स्तर अधिकारियों द्वारा समय–समय पर भ्रमण कर, उपकेन्द्र के सुदृढ़ीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया। • लेबर रूम की साफ–सफाई, पानी की व्यवस्था (रनिंग वाटर), कैलिसपैड, आवश्यक ट्रे, न्यू बार्न केयर कार्नर तथा लेबर रूम हेतु अन्य आवश्यक ऑजिस्टिक्स की व्यवस्था किये जाने हेतु	

		• लेबर टेबल जीर्ण अवस्था में है। • कैलिसपैड पंचर थे। • ए.एन.एम. द्वारा एच.आर.पी. रजिस्टर नहीं बनाया गया है। • उपकेन्द्र में आई.ई.सी. नहीं की गयी है। • उपकेन्द्र असम्बद्ध धनराशि का उपयोग मानकानुसार नहीं किया गया है। • प्रसव पंजिका में नवजात शिशु का भार राउन्ड फीगर में अंकित किया जा रहा है।	सुझाव दिया गया। • एच.आर.पी. रजिस्टर बनाये जाने हेतु सुझाव दिया गया। • आई.ई.सी. किये जाने का सुझाव दिया गया। • उपकेन्द्र असम्बद्ध धनराशि के उपयोग हेतु सुझाव दिया गया। • नवजात शिशु का वास्तविक भार अंकित करने का सुझाव दिया गया।	
6	उपकेन्द्र, मोहनपुरा, विकास खण्ड कासगंज (वी.एच.एन.डी. सत्र)	• ग्राम मोहनपुरा में सत्र का आयोजन श्री पुष्पेन्द्र के बरामदा में किया जा रहा था। • वी.एच.एन.डी. सत्र हेतु बैनर नहीं लगाया गया था। • महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री के अधीन कार्यरत आशाओं के कार्यक्षेत्र का आवंटन स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। • सत्र स्थल पर भ्रमण के समय तक अत्यन्त कम लाभार्थियों का आच्छादन किया गया था। • प्रथम पंक्ति की कार्यकत्रियों द्वारा सत्र दिवस हेतु ड्यू लिस्ट समुचित रूप से नहीं तैयार की गयी थी। • सत्र स्थल पर उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, ए.एन.एम., आशा तथा न्यूट्रीशन सखी से वार्ता करके ज्ञात हुआ कि विगत एक माह में किसी भी बच्चे को एन.आर.सी. हेतु संदर्भित नहीं किया गया है। • आंगनवाड़ी कार्यकत्री व आशा कार्यकत्रियों के सहयोग से धात्री व गर्भवती महिलाओं की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राज्य स्तरीय दल द्वारा बिन्दुवार चर्चा की गयी जिसमें प्रमुख रूप से वी.एच.एन.डी. की सेवायें व प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को सम्मिलित किया गया। बैठक में चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनपुरा द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।	• वी.एच.एन.डी. सत्र पर बैनर लगाये जाने का सुझाव दिया गया। • आशा कार्यकत्रियों के क्षेत्र आवंटन का सुझाव दिया गया। • सत्र हेतु लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट बनाये जाने व शत्प्रतिशत लाभार्थियों के आच्छादन का सुझाव दिया गया। • कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों को चिन्हित कर, ससमय एन.आर.सी. संदर्भित किया जाये।	ए.एन.एम. /प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ जनपद स्तर
7.	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिड़ला	• नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एम.बी.बी.एस. चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है। • चिकित्सा इकाई पर रोगी कल्याण समिति का गठन किया गया है। • यू.पी.एच.सी. पर बोर्ड व साइनेज नहीं लगाया गया है। • यू.पी.एच.सी. पर लगभग 30–40 ओ.पी.डी. प्रतिदिन की जा रही है। • यू.पी.एच.सी. पर प्रसव की सुविधा उपलब्ध नहीं है। • यू.पी.एच.सी. की स्थापना पूर्व में संचालित जिला चिकित्सालय की बिल्डिंग में गयी है, जिसमें अतिरिक्त/अनावश्यक आई.ई.सी. की गयी है।	• रिक्त पद की सूचना राज्य स्तर को प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। • बोर्ड व साइनेज लगाये जाने का सुझाव दिया गया। • रोगी कल्याण समिति की बैठक किये जाने का सुझाव दिया गया। • यू.पी.एच.सी. में पूर्व से की गयी आई.ई.सी. को अद्युनान्त करने का सुझाव दिया गया।	जनपद स्तर/राज्य स्तर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय बैठक के मुख्य बिन्दु–

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया व डी.पी.एम.यू. टीम के साथ बैठक कर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की कार्ययोजना तैयार की गयी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 93 चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष मात्र 19 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें 2 चिकित्सा अधिकारी परास्नातक करने हेतु अवकाश पर हैं।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा संयुक्त जिला चिकित्सालय को पूर्णतः हैण्डओवर नहीं किया गया है।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन कोई भी विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी कार्यरत न होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की एफ.आर.यू. क्रियाशील नहीं है।
- जनपद द्वारा अवगत कराया गया कि जननी सुरक्षा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में 21000 लक्ष्य राज्य स्तर से निर्धारित किया गया था, वित्तीय वर्ष 2019–20 में 15000 लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- जनपद में 4 बी0सी0पी0एम0 एवं 3 ब्लॉक लेखा प्रबन्धक के पद रिक्त हैं।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई की टीम व यूपीटीएसयू की टीम के साथ राज्य स्तरीय दल द्वारा कार्यक्रमवार समीक्षा बैठक की गयी। चिन्हित किये गये गैप को पूरा करने हेतु रणनीति तैयार की गयी।
- बैठक में राज्य स्तरीय दल द्वारा सुझाव दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु रक्षित की गयी धनराशि की सूचना राज्य स्तर पर ससमय प्रेषित कर दी जाये।
- टीम द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में जनपद की स्थिति सबसे निम्नतम होने के कारण अतिरिक्त प्रयास करते हुये प्राथमिकता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
- जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लम्बित भुगतान को कराये जाने हेतु रणनीति तैयार करते हुये शत्प्रतिशत भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया।
- आशा प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान बी.सी.पी.एम.–एम.आई.एस.के माध्यम से शत्प्रतिशत व ससमय नहीं किया जा रहा है तथा आशा वाउचर को सक्षम स्तर से हस्तक्षारित नहीं किया जा रहा है जिसे दिशा–निर्देशों के अनुसार कराये जाने का सुझाव दिया गया।

Rajkishor Tripathi

(बलराम तिवारी)	(डा0 राज किशोर त्रिपाठी)
रीजनल कोआर्डिनेटर (स्टेट)	प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ